भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *132
गुरूवार, 28 जुलाई, 2022/6 श्रावण, 1944 (शक)

घटती महिला श्रम बल भागीदारी (एफएलएफपी)

***132. डा. अमर पटनायकः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक के 'रीशेपिंग नॉर्म्सःए न्यू वे फॉरवर्ड' नामक अध्ययन का संज्ञान लिया है, जिससे यह पता चलता है कि भारत में आर्थिक विकास केवल सीमित बिंदु तक ही कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के अनुरूप था जब तक कि यह 3,500 अमरीकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय तक नहीं पहुंच गया;

(ख) यदि हाँ, तो भारत में महिला श्रम बल भागीदारी (एफएलएफपी) में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं, और इनसे क्या परिणाम हासिल हुए;

(ग) एफएलएफपी में गिरावट और/या इसमें वृद्धि नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारत पितृवंशीय जाल में फँस गया है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस परिघटना को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

“घटती महिला श्रम बल भागीदारी (एफएलएफपी)” के संबंध में डा. अमर पटनायक द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 28-07-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *132 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): 'रिशेपिंग नॉर्म्स: ए न्यू वे फॉरवर्ड' शीर्षक से विश्व बैंक का अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि आर्थिक विकास, बढ़ती शिक्षा और घटती प्रजनन क्षमता जैसे आर्थिक चालक, दक्षिण एशिया में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपी) के स्तरों और प्रवृत्तियों को, पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं।

वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर सरकारी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) नीचे दिया गया है:

वर्ष	महिला श्रम बल भागीदारी दर (% में)	महिला कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (% में)
2017-18	23.3	22.0
2018-19	24.5	23.3
2019-20	30.0	28.7
2020-21	32.5	31.4

स्रोतः पीएलएफएस, एमओएसपीआई

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेकों सुरक्षा के प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित, भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान नियोक्ता द्वारा, मजदूरी से संबंधित मामलों में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में, लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ-साथ रोजगार प्रदान करने के मामले में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्यों के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वहां इस तरह के कार्यों में महिलाओं का रोजगार, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध न हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

(ग) और (घ): उपलब्ध पीएलएफएस आंकडे दर्शाते हैं कि श्रम बल और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

*****